



Neutral Citation-2026: AHC:19466

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी नंबर - 2827 वर्ष 2026

राम भरोसायाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अजय कुमार तिवारी, मनीष नाथ त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय कक्ष संख्या - 6
माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे पुनरीक्षण वाद संख्या C202405000002219 का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, अथवा जिस किसी के समक्ष भी उक्त पुनरीक्षण वाद लंबित है, वे उक्त पुनरीक्षण वाद का निस्तारण विधि के पूर्णतः अनुरूप तथा बिना किसी अनावश्यक स्थगन के करें, बशर्ते कि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)
28 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"